न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–5, बरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 22/2026

कम्प्यूर संख्या–467/2026

CNR NO-UPBR01-002104-2026

देवेन्द्र उर्फ देवा पुत्र रूपचन्द्र, निवासी सियाठेरी, थाना शीशगढ, जिला बरेली।

प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–162/2025

धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

थाना–शेरगढ, जिला बरेली।

दिनांक 13.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ देवा** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र थाना शेरगढ, जिला बरेली, के मु0अ0सं0–162/2025 अन्तर्गत धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में झूठा फसाया गया है। वह निर्दोष है। उसका कोई गैंग नहीं है। गैंगचार्ट में उसके विरूद्ध अ0सं0–560/2024 अन्तर्गत धारा–103(1), 309(6), 61(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना बहेडी, मु0अ0सं0–361/24 अन्तर्गत धारा 103(1), 309(6),317(2) बी0एन0एस0 थाना शेरगढ तथा 363/24 अन्तर्गत धारा 109, 3(5) बी0एन0एस व 4/25 आयुध अधिनियम थाना शेरगढ के अपराध किये गये, जिसमें उसकी जमानत हो चुकी है। वह दिनांक 03.06.2025 से जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानती प्रस्तुत करने को तैयार हैं। जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अगर अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी तो अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग करेगा और अन्य अपराध कारित करेगा। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में अ0सं0–560/2024 अन्तर्गत धारा–103(1), 309(6), 61(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना बहेडी, मु0अ0सं0–361/24 अन्तर्गत धारा 103(1), 309(6),317(2) बी0एन0एस0 थाना शेरगढ तथा 363/24 अन्तर्गत धारा 109, 3(5) बी0एन0एस व 4/25 आयुध अधिनियम थाना शेरगढ के मामलों में उसकी जमानत हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा उक्त जमानत आदेशें के सम्बन्ध में क्यूरी प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके अनुसार अभियुक्त उपरोक्त तीनों मामलों में जमानत पर है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.06.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। दौरान विवेचना विवेचक को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि अभियुक्त ने अपराध कारित करके/गैंग बनाकर कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित की हो।

6. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई एवं अन्य (2022) 10 एस0सी0सी0 51 एवम् मनीश सिशोदिया बनाम डायरैक्ट्रेट**

ऑफ इन्फोर्समेन्ट 2024 आई.एन.एस.सी. 595 में प्रतिपादित किये गये विधिक सिद्वान्त **"Bail is a rule and jail is an exception"** एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ देवा** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न अण्डर टेंकिग दाखिल करने जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– यह कि अभियुक्त न्यायालय में नियत होने वाली प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा।

2– वह अभियोजन के गवाहों को डरायेगें या धमकायेगें नहीं तथा विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर सहयोग करेगा, बिना न्यायालय की अनुमति से जनपद का क्षेत्राधिकार नही छोड़ेगा जब तक विवेचना विवेचना पूर्ण नही हो जाती।

3– वह इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

4– वह दौरान विचारण गवाहों के उपस्थित होने पर स्थगन नहीं देगा।

5– वह आरोप विरचित किये जाते समय एवं 313 द.प्र.सं. 1973 का बयान अंकित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन अभियुक्तगण की ओर से किया जाता है तो अभियोजन को अभियुक्त का जमानत निरस्त कराने का एक पर्याप्त आधार होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा SMWP (Criminal) No- 4 of 2021 में पारित आदेश दिनांकित 01.02.2023 के अनुपालन में जारी पत्र संख्या 448@SLSA-06/2021 (Shubh/Haider) Dated February 13ए 2023 के क्रम में जमानत आदेश की साफ्ट कापी सम्बन्धित जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

(तबरेज अहमद)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–5, बरेली।
J.O .Code N0. UP-6298

Digitally signed by Tabrez Ahmad
Date: 2026.03.13 14:36:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court